अनुसंधान तथा विकास (Research and Development) :-

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास की महत्ता को दृष्टिगत रखकर अनुसंधान तथा विकास के सम्बंध में क्रियान्वयन कार्यक्रम में रखी गई कुछ प्रमुख बातें निम्न थी।

(i) पाठ्यक्रम विकास कक्षों की स्थापना की योजना शुरू की जायेगी।

(ii) अनुसंधान अधिसंरचना से युक्त संस्थाओं की संख्या बढ़ाई जायेगी।

(iii) अध्यापकों को अनुसंधान करने के अधिक अवसर मिल सके, इसका प्रावधान किया जायेगा।

(iv) अध्यापकों तथा संस्थाओं की निष्पादन क्षमता निर्धारित करने में अनुसंधान को महत्व दिया जायेगा।

(v) अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान समितियाँ बनाई जायेगी।

(vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिभा खोज परीक्षाएँ तथा छात्रवृत्तियाँ प्रारम्भ करेगा।

(vii) अनुसंधान वैज्ञानिक योजना का विस्तार किया जायेगा।

(viii) विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाएँ स्थापित की जायेंगी।

Scanned with CamScanner

NVEQF नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफीकेशन फ्रेमवर्क

4→ नये पॉलिटेक्निक स्कूलों की स्थापना करना → भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप 1000 पॉलिटेक्निक स्कूलों की स्थापना करना जिसमें 300 पॉलिटेक्निक स्कूल को राज्य सरकार / केन्द्रशासित प्रदेशों में NGO द्वारा सुदूर क्षेत्रों में जिला के अनुरूप स्थापना करना। 300वीं पॉलिटेक्निक स्कूल की सहभागिता सार्वजनिक एवं ~~पीपी~~ निजी सहभागी से राज्य सरकार तथा केन्द्रशासित राज्यों में स्थापना करना। इस 300 पॉलिटेक्निक स्कूलों को चयन करने का कार्य राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संस्थान जैसे FICCI तथा चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।
इसका एक और कार्यों में 400 और प्राइवेट स्कूल जैसे संस्थानों की स्थापना करना।

4.1 → अस्तित्व में रह रहे पॉलिटेक्निक स्कूलों को शक्तियाँ / मजबूती प्रदान करना —
उपलब्धता के रूप में चल रहे स्कूलों को पाल्टेकनिक स्कूल के रूप में ~~पुनर्~~ कक्ष भवन निर्माण करके पाल्टेकनिक स्कूल को चलाना तथा इस स्कूल को विशेष प्रकार के वित्तीय सहायताओं के अनुरूप माडर्न सामग्रीयों से सुसज्जित करना। इसके साथ-साथ शिक्षक आधिगम तथा टेस्ट प्रक्रियाओं में नयापन लाना तथा मूलभूत सुविधाएं (भवन) को नये उपलब्धता के रूप में सुसज्जित करना —

4.2 - पाल्टेकनिक स्कूल में लड़कियों के लिए नये हास्टल का निर्माण करना लड़कियों को आकर्षित करने हेतु राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर लगभग 500 पाल्टेकनिक हास्टलों का निर्माण करना

4.3 पाल्टेनिक समुदाय का निर्माण करना।
AICTE के मानक के अनुरूप चयनित पाल्टेकनिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समुदाय विकास पाल्टेकनिक योजना (CDTP) स्कीम का निर्माण करना।

Scanned with CamScanner

(NVEQF) ②

प्रत्येक पॉलिटेक्निक स्कूल में बहुरूपी अनौपचारिक रूप से स्कीम जैसे कार्यक्रमों को सम्मिलित करना लगभग 5 से 10 गांव से सटा हुआ होना चाहिए - प्रत्येक पालटेकनिक स्कूल लगभग 600 व्यक्तियों को हर वर्ष विभिन्न प्रकार के कौशल/ रोजगार परक शिक्षा से अवगत कराना तथा ये निर्धारित करना कि उनकी आयु तथा योग्यता तथा नजरअन्दाज करते हुए बिना किसी फीस के उनको पढ़ाना।

5- जन शिक्षण संस्थान - इस शिक्षण योजना को ग्रामीण विद्यापीठ से जोड़ा गया है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा हेतु अधिगम करता को निरक्षर होने के बावजूद बिना किसी पक्षपात के शहरी तथा ग्रामीण बच्चों को इस योजना में सम्मिलित करना यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में साक्षर तथा अर्द्धसाक्षर व्यक्ति को जो आर्थिक सामाजिक पिछड़े व्यक्ति को जिसकी उम्र 15 से 35 हो इस इस योजना में सामिल किया जाता है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस समय लगभग 271 जनशिक्षण संस्थान देश के विभिन्न राज्यों में संचालित किये जाते है।